भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3345 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025/ 17 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है

पत्तनों का आधुनिकीकरण एवं विस्तार

†3345. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत देश में पत्तनों के आधुनिकीकरण एवं विस्तार हेतु कोई बड़ी पहल की है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही एवं पूरी हो चुकी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) अंतर्देशीय जल परिवहन को लागत-प्रभावी एवं पर्यावरण-अनुकूल परिवहन साधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पत्तन विकास पहलों के माध्यम से संचालित माल यातायात एवं सृजित रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): सागरमाला कार्यक्रम के तहत कार्यान्वयन हेतु 5.79 लाख करोड़ रु. के निवेश की 839 परियोजनाएं हैं। ये परियोजनाएं केंद्रीय मंत्रालयों, आईडब्ल्यूएआई, भारतीय रेलवे, राज्य सरकार और महापत्तनों आदि द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इनमें से, 1.42 लाख करोड़ रु. की 280 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी है और 1.62 लाख करोड़ रु. की 209 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन है। इसके अतिरिक्त, 2.75 लाख करोड़ रु. की 350 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में है।

(ग): सरकार द्वारा, राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स एकीकरण सहित, अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) को बढ़ावा देने के उपायों में (i) सामुदायिक जेट्टियों और पर्यटक जेट्टियों, फ्लोटिंग टर्मिनल, स्थायी आईडब्ल्यूटी टर्मिनल, फेयरवे रख-रखाव कार्य आदि जैसे अवसंरचनागत विकास और (ii) कार्गो प्रोत्साहन योजना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कार्गो को शिफ्ट करने और पत्तनों के साथ एकीकरण जैसे नीतिगत उपाय शामिल हैं।

(घ): विभिन्न पत्तनों में हैंडल किए गए कार्गो यातायात का राज्य–वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

[अनुबंध- I] सागरमाला कार्यक्रम समुद्री क्षेत्र यथा: पत्तन प्रचालन, लॉजिस्टिक्स एवं भंडारण, मत्स्यपालन, पर्यटन और समुद्री कौशल विकास में रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन किया है।

अनुबंध -I

वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान महापत्तनों और गैर- महापत्तनों पर हैंडल किया गया कार्गो (मिलियन टन में)

राज्य	पत्तन	2023-24			2024-25 (अनं)		
		विदेशी	तटीय	कुल	विदेशी	तटीय	कुल
गुजरात	दीनदयाल	114.74	17.64	132.37	134.28	15.88	150.16
महाराष्ट्र	मुंबई	43.54	23.73	67.26	46.29	22.34	68.63
	जवाहरलाल नेहरु	80.86	4.96	85.82	85.23	6.88	92.12
गोवा	मुरगांव	16.73	3.90	20.63	13.73	4.40	18.13
कर्नाटक	नव मंगलूर	34.79	10.92	45.71	37.28	8.74	46.01
केरल	कोचीन	23.72	12.59	36.32	25.20	12.55	37.75
तमिलनाडु	वी.ओ. चिदंबरनार	28.80	12.61	41.40	29.74	11.98	41.72
	चैन्ने	46.04	5.56	51.60	48.82	6.14	54.96
	कामराजार	27.71	17.57	45.28	28.71	19.70	48.41
आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	62.88	18.21	81.09	63.19	19.43	82.62
ओडिशा	पारादीप	86.19	59.19	145.38	86.69	63.71	150.41
पश्चिम बंगाल	एसएमपी (कोलकाता/ हल्दिया)	62.40	4.04	66.45	58.89	5.07	63.95
सभी पत्तन		**628.39**	**190.91**	**819.30**	**658.05**	**196.81**	**854.86**

राज्य समुद्री बोर्ड/ राज्य निदेशालय	2023-24			2024-25 (अनं)		
	विदेशी	तटीय	कुल	विदेशी	तटीय	कुल
गुजरात	401.98	47.27	449.26	437.97	49.75	487.73
महाराष्ट्र	30.88	45.99	76.87	33.57	42.22	75.78
गोवा	0.00	0.12	0.12	0.00	0.06	0.06
आंध्र प्रदेश	81.77	35.67	117.44	70.86	33.46	104.32
कर्नाटक	0.63	0.25	0.89	0.36	0.24	0.61
केरल	0.00	0.09	0.09	0.00	0.10	0.10
तमिलनाडु	9.80	0.32	10.12	11.63	0.27	11.90
पुदुच्चेरी	7.37	4.94	12.31	7.52	5.43	12.95
ओडिशा	49.02	5.22	54.24	43.39	8.69	52.08
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.11	1.93	2.04	0.19	1.85	2.04
लक्षद्वीप	0.00	0.21	0.21	0.00	0.16	0.16
कुल	**581.58**	**142.01**	**723.59**	**605.49**	**142.22**	**747.71**

(अनं): अनंतिम

स्रोत: राज्य समुद्री बोर्ड

*****